अध्याय - V

अन्य कर प्राप्तियाँ

अध्याय-V: अन्य कर प्राप्तियाँ

अ. भू-राजस्व

5.1 कर प्रशासन

बिहार काश्तकारी अधिनियम, 1885, छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908, संथाल परगना अधिनियम, 1949, बिहार भूमि सुधार अधिनियम, 1950, बिहार भूमि सुधार (भू-हदबन्दी क्षेत्र का निर्धारण एवं अधिशेष भूमि का अधिग्रहण) अधिनियम, 1961, बिहार भूदान अधिनियम, 1954, बिहार सरकार सम्पदा (खास महल) नियमपुस्तक, 1953, बिहार सार्वजनिक भूमि अतिक्रमण अधिनियम, 1956, बंगाल सेस अधिनियम, 1880 और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा झारखण्ड में भू राजस्व प्रशासित करने वाले समय-समय पर जारी अधिशासी आदेश, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव/आयुक्त द्वारा संचालित किये जाते हैं। बंदोबस्ती के सभी महत्वपूर्ण मामले, नीतियों का गठन एवं सरकारी भूमि के हस्तांतरण की स्वीकृति का निर्णय सरकार के स्तर पर लिया जाता है। राज्य पाँच प्रमण्डलों[1] में, प्रत्येक के प्रमुख एक प्रमंडलीय आयुक्त, एवं 24 जिलों[2], प्रत्येक के प्रमुख एक उपायुक्त हैं, में विभाजित है। जिला स्तर पर उपायुक्त को अपर समाहर्ता/अपर आयुक्त (अ.स./अ.आ.) द्वारा सहायता की जाती है। जिले अनुमण्डलों में विभाजित हैं जिसके प्रमुख अनुमण्डल पदाधिकारी (अ.प.) होते है जिनकी सहायता भूमि सुधार उप समाहर्ता (भू.सु.उ.स.) द्वारा की जाती है। अनुमण्डलों को अंचलों में विभाजित किया गया है, जिसके प्रमुख अंचल अधिकारी (अ.अ.) होते हैं।

भू-राजस्व के अन्तर्गत विभिन्न प्राप्तियाँ भू-लगान, सलामी[3], व्यवसायिक/आवासीय लगान, सेस[4] इत्यादि हैं।

5.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2013-14 के दौरान हमने भू राजस्व से संबंधित 307 इकाइयों में से, ₹ 2.33 करोड़ राजस्व संग्रहण वाले, 30 इकाइयों का नमूना जाँच किया। नमूना जाँच किए गए इकाइयों में ₹ 384.09 करोड़ में सन्निहित 98 मामलों में उपकरों और/या उपकरों के बकाया पर ब्याज का नहीं/कम आरोपण, सलामी एवं व्यावसायिक लगान

---

1 दक्षिणी छोटानागपुर (राँची), उत्तरी छोटानागपुर (हजारीबाग), संथाल परगना (दुमका), पलामू (मेदिनीनगर) और कोल्हान (चाईबासा)।

2 बोकारो, चतरा, धनबाद, दुमका, देवघर, पूर्वी सिंहभूम, गढ़वा, गोड्डा, गिरिडीह, गुमला, हजारीबाग, जामताड़ा, कोडरमा, खूँटी, लातेहार, लोहरदगा, पाकुड़, पलामू, रामगढ़, राँची, साहेबगंज, सरायकेला-खरसावाँ, सिमडेगा एवं पश्चिमी सिंहभूम।

3 सलामी भूमि का बाजार मूल्य है।

4 शिक्षा सेस: लगान 50 प्रतिशत, स्वास्थ्य सेस: 50 प्रतिशत, कृषि विकास सेस: 20 प्रतिशत और सड़क सेस: 25 प्रतिशत (कुल 145 प्रतिशत)।

के नहीं/कम निर्धारण, सन्निहित भूमि की बन्दोबस्ती नहीं किया जाना आदि पता चला जैसा कि **तालिका - 5.2** में वर्णित है।

तालिका – 5.2

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	श्रेणियाँ	मामलों की संख्या	राशि
1	उपकरों का नहीं/कम लगाया जाना, उपकरों के बकाया पर सूद नहीं लगाया जाना	4	365.90
2	सलामी और व्यावसायिक लगान का निर्धारण नहीं/कम किया जाना	5	1.90
3	सन्निहित भूमि की बंदोबस्ती नहीं किया जाना	8	0.78
4	सैरातों का बदोबस्ती नहीं किया जाना	3	0.08
5	अन्य मामले	78	15.43
कुल		**98**	**384.09**

वर्ष के दौरान, विभाग ने 2013-14 में हमारे द्वारा इंगित 17 मामलों में ₹ 4.91 करोड़ के सलामी, लगान का पूँजीकृत मूल्य, सेस आदि का आरोपण नहीं किया जाना स्वीकार किया।

इस अध्याय में हम दृष्टांतस्वरूप ₹ 5.88 करोड़ वसूलीयोग्य वित्तीय प्रभाव के कुछ मामले प्रस्तुत करते हैं। अनुवर्ती कंडिकाओं में इनकी चर्चा की गई है।

लेखापरीक्षा अवलोकन

5.3 अधिनियमों/नियमावलियों के प्रावधानों का पालन नहीं होना

बिहार सरकार सम्पदा (खास महल) नियमपुस्तक, 1953 और समय-समय पर जारी निर्देश, जैसा झारखण्ड सरकार द्वारा अंगीकृत किया गया,

(i) आवासीय एवं व्यावसायिक प्रयोजनों के लिए क्रमश: दो एवं पाँच प्रतिशत की दर से वार्षिक लगान के अलावे नये पट्टों पर भूमि के वर्तमान बाजार मूल्य के समतुल्य सलामी का आरोपण; और

(ii) सरकारी भूमि के स्थायी बन्दोबस्ती के लिए व्यावसायिक लगान और उपकर दोनों का पूँजीकृत मूल्य एवं सलामी के आरोपण;

का प्रावधान करता है।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने अधिनियमों/नियमावलियों के प्रावधानों का तत्परतापूर्वक पालन नहीं किया फलस्वरूप सरकारी राजस्व का उद्ग्रहण नहीं/कम हुआ जैसा कि अनुवर्ती कंडिकाओं में वर्णित है:

5.4. सेस के पूँजीकृत मूल्य के लिए माँग का सृजन नहीं किया जाना

बिहार सम्पदा (खास महल) नियमपुस्तक, 1953 (झारखण्ड सरकार द्वारा अंगीकृत) के प्रावधानों के अन्तर्गत जनवरी 2011 में झारखण्ड सरकार द्वारा निर्गत संकल्प के अनुसार व्यावसायिक प्रयोजनों के लिए सरकारी भूमि (गैर मजरुआ खास/आम भूमि) के स्थायी हस्तांतरण के मामले में उस भूमि के वर्तमान बाजार मूल्य के बराबर सलामी और व्यावसायिक लगान एवं सेस दोनों का पूँजीकृत मूल्य देय है। व्यावसायिक लगान एवं सेस का पूँजीकृत मूल्य क्रमश: व्यावसायिक लगान एवं सेस का 25 गुना है।

अपर समाहर्ता, गिरिडीह के अधीन तीन अंचल कार्यालयों[5] में सरकारी भूमि के स्थायी हस्तांतरण से संबंधित संचिकाओं की जाँच के दौरान हमने पाया (दिसम्बर 2013) कि कोडरमा से गिरिडीह तक नई रेल लाईन निर्माण हेतु, रेल मंत्रालय, भारत सरकार (भा.स.) को 21.845 एकड़ गैर मजरूआ (जी.एम.) खास/कैसरे हिन्द भूमि के स्थानांतरण हेतु कुल 29 राज्यादेशों (ऑर्डिनेंस) में से 16 राज्यादेश मई और जून 2011 के बीच सेस के पूँजीकृत मूल्य के भुगतान का प्रावधान, जैसा कि सरकार द्वारा निर्गत संकल्प में निर्धारित था, किए बिना निर्गत किए गए। इस प्रकार संकल्प के प्रावधानों से विचलन के कारण सेस के पूँजीकृत मूल्य ₹ 4.61 करोड़ की राशि राज्यादेश के परिधि से बाहर रह गयी।

[5] धनवार, जमुआ एवं सदर गिरिडीह।

दिसम्बर 2013 में मामले को हमारे द्वारा बताए जाने के बाद अपर समाहर्ता, गिरिडीह ने कहा (दिसम्बर 2013) कि राजस्व हित में आवश्यक कदम उठाने हेतु संबंधित अंचल अधिकारियों को निर्देश निर्गत किया जायेगा। तदंतर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवम्बर 2014)।

हमने मामला सरकार को प्रतिवेदित किया(मार्च 2014); उनका उत्तर अप्राप्त है (नवम्बर 2014)।

सदृश मामले 31 मार्च, 2013 को समाप्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र) के कंडिका सं. 5.8.1 में दर्शाए गए थे जहाँ विभाग ने कहा (जुलाई 2012 और अप्रैल 2013 के बीच) कि मांग सृजित किया जायेगा। इस संबंध में की गयी अग्रेतर कार्रवाई अप्राप्त है (नवम्बर 2014)।

5.5 पट्टा का नवीकरण नहीं होना

बिहार सरकार सम्पदा (खास महल) नियमावली के नियम 9 के प्रावधानों और इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के अन्तर्गत (झारखण्ड सरकार द्वारा अंगीकृत) राज्य सरकार को पट्टा समाप्ति के छः माह पूर्व ऐसे पट्टों के नवीकरण हेतु आवेदन करने के लिए पट्टाधारियों को सूचनाएं निर्गत करनी है, जबकि पट्टाधारी को नवीकरण हेतु उसके पट्टा समाप्ति के तीन माह पूर्व आवेदन करना है। आगे, यदि पट्टाधारी बिना लगान का भुगतान किए और पट्टा का नवीकरण कराए पट्टा वाली संपत्ति को रखता है तो उसे अनाधिकार प्रवेश का दोषी माना जाएगा और पिछले बंधों और शर्त्तों पर नवीकरण का उसका कोई दावा नहीं होगा। तदन्तर, आवासीय और व्यावसायिक प्रयोजनों के लिए नये पट्टों पर भूमि के वर्तमान बाजार मूल्य के आधार पर सलामी के अतिरिक्त ऐसी सलामी का क्रमशः दो प्रतिशत एवं पाँच प्रतिशत की दर पर वार्षिक लगान भुगतेय है। तदंतर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार द्वारा अप्रैल 1999 में निर्गत निर्देशों के अनुसार पट्टेधारी पट्टा समाप्त होने की तिथि से नये पट्टे में प्रस्तावित दर से वार्षिक लगान का दोगुने दाण्डिक लगान बकाए के रूप में और प्रस्तावित लगान और पट्टाधारियों द्वारा पूर्व में भुगतान किए गए लगान के अन्तर पर 10 प्रतिशत की दर से ब्याज के भुगतान का उत्तरदायी है।

हमने अंचल कार्यालय, गोलमुरी-सह-जुगसलाई के खास महल पंजी/खास महल लीज अभिलेखों का नमूना जाँच किया (फरवरी 2014) और पाया कि 61 पट्टे में से 1.17 एकड़ खास महल भूमि के तीन पट्टे 2010-11 में समाप्त हो गये थे। तथापि, न तो पट्टाधारियों ने पट्टे की समाप्ति के पूर्व या बाद में पट्टे के नवीकरण के लिए आवेदन दिया और न ही विभाग ने खास महल पंजी की समीक्षा और पट्टाधारियों को नवीकरण हेतु आवेदन के लिये सूचनाएं निर्गत की, लेकिन भूमि पर पट्टेधारियों का कब्जा बना रहा अतएव वे अनाधिकार दखल के दोषी थे। विभाग ने बन्दोबस्ती या अनाधिकार प्रवेश के दोषियों की बेदखली हेतु कार्रवाई नहीं किया। इस प्रकार संबंधित

अभिलेखों की आवधिक समीक्षा एवं अवधि समाप्त पट्टों की समीक्षा हेतु कार्रवाई करने में विभाग की असफलता के परिणामस्वरूप 2010-11 से 2012-13 की अवधि हेतु सलामी, दाण्डिक लगान और ब्याज के रूप में ₹ 97.01 लाख के सरकारी राजस्व का उद्ग्रहण नहीं हुआ।

फरवरी 2014 में हमारे द्वारा मामले को बताये जाने के बाद अंचल अधिकारी ने कहा (मार्च 2014) कि उच्च प्राधिकारियों से परामर्श लेकर कार्रवाई की जाएगी। आगे उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवम्बर 2014)।

हमने मामले को सरकार को मई 2014 में प्रतिवेदित किया, उनका उत्तर अप्राप्त है (नवम्बर 2014)।

31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र) के कंडिका सं. 5.9 में ₹ 10.28 करोड़ सन्निहित 155 पट्टों का सदृश मामला दर्शाया गया था, जहाँ विभाग ने कहा (मार्च 2012) कि नए पट्टों के लिए आवेदन मांगा गया था और स्वीकृति के पश्चात नये पट्टों के बन्दोबस्ती हेतु कार्रवाई की जाएगी। आवेदन की अस्वीकृति की स्थिति में पट्टों को बेदखल किया जाएगा। इस संबंध में की गई अग्रेतर कार्रवाई प्राप्त नहीं हुई है (नवम्बर 2014)।

5.6 सरकार की अनुमति के बिना गैरमजरूआ भूमि का निजी शिक्षण संस्थान को बन्दोबस्त किया जाना

बिहार सम्पदा (खास महल) नियमपुस्तक, 1953 (झारखण्ड सरकार द्वारा अंगीकृत), के प्रावधान के अंतर्गत निजी शिक्षण संस्थान को गैर मजरूआ भूमि की बन्दोबस्ती हेतु, यह प्रक्रिया है कि निजी शिक्षण संस्थान के प्रबंध समिति को भूमि हेतु, जिला शिक्षा पदाधिकारी को आवेदन करना चाहिए। जिला शिक्षा पदाधिकारी स्थल का निरीक्षण और उद्देश्य हेतु, भूमि की वास्तविक आवश्यकता का आकलन करेगा और उसके बाद जिला समाहर्ता को अपना प्रस्ताव भेजेगा एवं उसकी एक प्रति शिक्षा विभाग को भी अग्रसारित करेगा। समाहर्ता, यदि वह भूमि की आवश्यकता के संबंध में संतुष्ट है, प्रस्ताव में सुधार कर या सुधार किए बिना प्रमण्डलीय आयुक्त के माध्यम से राजस्व विभाग को अग्रसारित करेगा। राजस्व विभाग तत्पश्चात शिक्षा विभाग एवं वित्त विभाग से परामर्श करता है और तब संबंधित निजी शिक्षण संस्थान के साथ भूमि की बन्दोबस्ती के लिए आवश्यक ज्ञापन मंत्रिपरिषद को सौंपता है। व्यावसायिक उद्देश्यों हेतु सरकारी भूमि (*गैर मजरूआ खास/आम भूमि*) के स्थायी हस्तांतरण के मामले में, ऐसी भूमि के प्रचलित बाजार मूल्य के बराबर सलामी और व्यावसायिक लगान का पूँजीकृत मूल्य ऐसी भूमि के हस्तांतरण हेतु उद्ग्रहणीय है।

हमने अंचल कार्यालय, बरकट्ठा (हजारीबाग) में भूमि बन्दोबस्ती अभिलेखों के जाँच (मई और जून 2013 के बीच) के दौरान पाया कि अंचल अधिकारी ने *सलामी* और

लगान (सशुल्क) के भुगतान पर 4.08 एकड़ गैर मजरूआ (गै.म.) खास[6] भूमि की बन्दोबस्ती हेतु अनुशंसा किया था। अंचल अधिकारी के अनुशंसा पर इसे सर्वोदय उच्च विद्यालय, अलगडीहा को अनुमण्डल पदाधिकारी, बरही (हजारीबाग) द्वारा जनवरी 2011 में नियमावली के प्रावधानों का उल्लंघन कर बन्दोबस्त कर दिया गया। ₹ 30.48 लाख (सलामी ₹ 13.55 लाख एवं व्यावसायिक लगान का पूँजीकृत मूल्य ₹ 16.93 लाख) की मांग भी सृजित नहीं की गयी।

हमारे द्वारा मई 2013 में मामला को बताए जाने पर अंचल अधिकारी, बरकट्ठा ने कहा कि सरकार से संस्वीकृति आदेश प्राप्त किया जाएगा तथा कार्रवाई की जाएगी, जबकि उप समाहर्ता, भूमि सुधार (उ.स.भू.सु.), बरही ने कहा (जून 2013) कि इस मामले में समुचित कार्रवाई करने हेतु निर्देश दिया जाएगा। आगे उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (नवम्बर 2014)।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (मई 2014) उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवम्बर 2014)।

5.7 आंतरिक लेखापरीक्षा

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा नहीं है। आंतरिक लेखापरीक्षा समय समय पर वित्त विभाग द्वारा संचालित किया जाता है। 2013-14 के दौरान वित्त विभाग द्वारा की गयी लेखापरीक्षा के संबंध में सूचना प्रस्तुत नहीं किया गया (नवम्बर 2014)।

[6] गैर मजरूआ खास भूमि का अर्थ भूतपूर्व मध्यवर्तियों द्वारा अधिकृत भूमि और जिसे रैयतों को बंदोबस्त नहीं किया गया, जो बाद में बिहार भूमि सुधार अधिनियम, 1950 के अन्तर्गत राज्य में सन्निहित हो गया।

ब. मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क

5.8 कर प्रशासन

झारखण्ड राज्य में मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस का आरोपण एवं संग्रहण भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 एवं उसके अंतर्गत निर्मित नियमावलियों तथा निबंधन अधिनियम, 1908 के द्वारा शासित होता है। 15 नवम्बर, 2000 को झारखण्ड राज्य की स्थापना होने पर बिहार राज्य में विद्यमान अधिनियम, नियमावली एवं कार्यकारी आदेशों को झारखण्ड राज्य द्वारा अंगीकृत किये गये।

5.9 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2013-14 के दौरान, हमने मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस से संबंधित 46 इकाइयों में से 15 इकाइयों (जिनका राजस्व संग्रहण ₹ 184.87 करोड़ था) का नमूना जाँच किया। नमूना जाँच किये गये इकाइयों में 505 मामलों में सन्निहित ₹ 223.11 करोड़ के मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस का कम आरोपण, भूमि का गलत वर्गीकरण इत्यादि का पता चला, जैसा कि **तालिका - 5.9** में वर्णित है।

तालिका – 5.9

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	श्रेणियाँ	मामलों की संख्या	राशि
1	मुद्रांक एवं निबंधन फीस का कम आरोपण	76	0.35
2	भूमि का गलत वर्गीकरण	1	218.62
3	अन्य मामले	428	4.14
कुल		**505**	**223.11**

वर्ष के दौरान, विभाग ने हमारे द्वारा 2013-14 में इंगित किये गये 137 मामलों में राशि ₹ 1.45 करोड़ की राशि के मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस के कम आरोपण को स्वीकार किया।

इस अध्याय में हम ₹ 1.33 करोड़ के वित्तीय प्रभाव के कुछ दृष्टांतस्वरूप मामले प्रस्तुत करते हैं। अनुवर्ती कंडिकाओं में इनकी चर्चा की गई है।

5.10 अधिनियमों/ नियमावली के प्रावधानों का पालन नहीं होना

भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899, निबंधन अधिनियम, 1908 तथा बिहार निबंधन नियमावली, 1937, बिहार निबंधन नियमपुस्तक, 1946 और इसके अधीन निर्मित बिहार मुद्रांक (दस्तावेजों के अवमूल्यन का प्रतिरोध) नियमावली, 1995 (झारखण्ड सरकार द्वारा अंगीकृत) का प्रावधान करता है।

(i) निर्धारित दर से निबंधन शुल्क का भुगतान; और

(ii) निष्पादक द्वारा निर्धारित दर से मुद्रांक शुल्क के भुगतान

हमने देखा कि निम्नांकित मामलों में निबंधन विभाग ने अधिनियम/नियमावलियों के प्रावधानों का पालन नहीं किया:

5.11 पट्टों के निबंधन नहीं होने के कारण मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस का आरोपण नहीं होना

निबंधन अधिनियम, 1908 की धारा 17(1)(डी) के प्रावधानों के अधीन साल दर साल, या ऐसी अवधि जो एक वर्ष से ज्यादा हो, या वार्षिक किराये वाले अचल संपत्ति के पट्टों का निबंधन अनिवार्य है। मुद्रांक शुल्क पट्टों की अवधि के अनुसार भारतीय मुद्रांक अधिनियम,1899 के अनुच्छेद 35 के अनुसूची 1-ए के अंतर्गत प्रभार्य है और निबंधन फीस भी उस मूल्य पर आरोप्य है जिस पर मुद्रांक शुल्क प्रभारित होता है।

5.11.1 हमने कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण प्रमंडल, जमशेदपुर के कार्यालय से सूचना संग्रह किया और जिला अवर निबंधक जमशेदपुर के अभिलेखों से तिर्यक सत्यापन किया, जिससे उद्घटित हुआ कि फरवरी 2013 में 30 वर्षों की अवधि के लिए, 1.0825 एकड़ भूमि के हस्तांतरण हेतु ₹ 17.47 करोड़ के प्रीमियम और ₹ 4.37 लाख के वार्षिक किराये पर पट्टे का अनुबंध एक निजी दल के पक्ष में निष्पादित किया गया। अन्तर्विभागीय सूचना विनिमय हेतु तंत्र के अभाव के कारण जनवरी 2014 तक पट्टा अनिबंधित रहा। पथ निर्माण प्रमंडल द्वारा निष्पादित पट्टा अनुबंधों से संबंधित सूचना न तो जिला अवर निबंधन कार्यालय को दिया गया न ही निबंधन हेतु दस्तावेज प्रस्तुत किया गया। इस प्रकार, पट्टा दस्तावेज का निबंधन नहीं होने के परिणामस्वरूप ₹ 53.06 लाख के निबंधन फीस सहित ₹ 1.24 करोड़ का मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस का आरोपण नहीं हुआ।

मामले को हमारे द्वारा जनवरी 2014 में इंगित किये जाने के बाद सरकार ने कहा (जून 2014) कि संबंधित दस्तावेज निबंधन हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया था। संबंधित जिलों के उपायुक्तों को पट्टा संपत्ति के बन्दोबस्ती के पूर्व पट्टा अनुबंध का निबंधन करवाने हेतु निर्देशित किया गया है। तदन्तर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवम्बर 2014)।

5.11.2 हमने तीन कार्यालयों[7] से सैरात की बन्दोबस्ती (राजस्व अर्जित करने वाले हाट, बाजार, मेला, वृक्ष, नावघाट आदि के संबंध में अधिकार व हित) से संबंधित सूचना प्राप्त किया और जिला अवर निबंधक, पलामू तथा अवर निबंधक, बरही के अभिलेखों से तिर्यक सत्यापन (सितम्बर 2013 से अक्टूबर 2013 के बीच) किया जिससे उद्घटित हुआ कि 2010-11 और 2012-13 के बीच कुल 37 सैरातों में से 18 सैरातों की बन्दोबस्ती एक वर्ष के लिए विभिन्न डाक वक्ताओं के साथ की गयी, जिन्हें संबंधित निबंधन कार्यालयों में अनिवार्यत: निबंधित किया जाना चाहिये था किन्तु सूचना के अन्तर्विभागीय विनिमय के अभाव के कारण ये अनिबंधित रहे। इसके परिणामस्वरूप ₹ 3.88 लाख के निबंधन फीस सहित ₹ 9.22 लाख की राशि के मुद्रांक शुल्क तथा निबंधन फीस की हानि हुई।

मामले को हमारे द्वारा सितम्बर 2013 से अक्टूबर 2013 के बीच में इंगित किये जाने के बाद सरकार ने कहा (जून 2014) कि संबंधित दस्तावेज निबंधन हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया था। संबंधित जिलों के उपायुक्तों को पट्टा सम्पत्ति के बन्दोबस्ती के पूर्व पट्टा अनुबंधों का निबंधन करवाने हेतु निर्देशित किया गया है। तदन्तर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवम्बर 2014)।

सदृश मामला 31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियाँ) की कंडिका सं. 6.7.3.2 तथा 6.7.3.4 में इंगित किया गया था, सरकार ने हमारे अवलोकन को स्वीकार किया और कहा (अक्टूबर 2013) कि सभी उपायुक्त-सह-निबंधकों को कार्रवाई करने तथा कृत कार्रवाई पर प्रतिवेदन देने का आग्रह किया गया था। सरकार ने हमें इस पर की गयी कार्रवाई से अवगत नहीं कराया है और मामला अभी भी यथावत है।

हम अनुशंसा करते हैं कि सरकार एक तंत्र विकसित करने पर विचार कर सकती है, जहां कभी भी कोई सरकारी एजेंसी अचल संपत्ति को पट्टे पर देती है, तो इसका निबंधन सुनिश्चित करने के लिए उसे संबंधित निबंधन प्राधिकारियों को ऐसे पट्टा अनुबंधों का विवरण प्रस्तुत करना चाहिये।

5.12 आंतरिक लेखापरीक्षा

विभाग ने हमें सूचित किया कि उसकी अपनी आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा नहीं है। आंतरिक लेखापरीक्षा का संचालन वित्त विभाग द्वारा किया जा रहा था परन्तु, वित्त विभाग के लेखापरीक्षकों द्वारा संचालित लेखापरीक्षा की स्थिति प्रस्तुत नहीं किया गया।

सरकार विभाग में एक आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा स्थापित करने पर विचार कर सकती है, ताकि राजस्व के शीघ्र एवं सही उद्ग्रहण के लिए अधिनियमों/नियमावलियों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित हो।

---

[7] नगर परिषद, मेदिनीनगर, उपायुक्त (खास महल प्रकोष्ठ), पलामू तथा अंचल कार्यालय, बरही।

स. विद्युत पर कर एवं शुल्क

5.13 कर प्रशासन

बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 1948 (बि.वि.शु. अधिनियम) के प्रावधानों एवं इसके अंतर्गत बनाये गये नियमावलियों (झारखण्ड सरकार द्वारा अंगीकृत) के अधीन वाणिज्यकर विभाग विद्युत शुल्क के आरोपण एवं संग्रहण के लिए उत्तरदायी है। सचिव-सह-आयुक्त वाणिज्यकर, जिनको एक अपर आयुक्त, तीन संयुक्त आयुक्त वाणिज्यकर (सं.आ.वा.क.), तीन उपायुक्त वाणिज्यकर (उ.वा.क.) एवं दो सहायक आयुक्त वाणिज्यकर (स.आ.वा.क.) के द्वारा सहयोग किया जाता है, विभाग में अधिनियम एवं नियमावलियों के प्रशासन हेतु उत्तरदायी है। राज्य पाँच वाणिज्यकर प्रमण्डलों[8], प्रत्येक के प्रभारी एक सं.आ.वा.क. (प्रशासन) एवं 28 अंचलों, प्रत्येक के प्रभारी एक उ.वा.क./स.आ.वा.क., में विभाजित है। उ.वा.क./स.आ.वा.क. जिन्हें वाणिज्यकर पदाधिकारियों द्वारा सहयोग किया जाता है, विद्युत शुल्क के आरोपण एवं संग्रहण के लिए उत्तरदायी हैं।

5.14 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2013-14 में विद्युत शुल्क से संबंधित अभिलेखों के हमारे नमूना जाँच में सात मामलों में सन्निहित ₹ 20.70 करोड़ के शुल्क एवं अधिभार आदि का नहीं/कम आरोपण का पता चला जैसा **तालिका - 5.14** में उल्लिखित है।

तालिका - 5.14

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	श्रेणी	मामलों की संख्या	राशि
1	विद्युत शुल्क का कम आरोपण	2	11.76
2	अधिभार का नहीं/कम आरोपण	2	5.51
3	अन्य मामले	3	3.43
कुल		**7**	**20.70**

वर्ष के दौरान विभाग ने पिछले वर्ष में इंगित तीन मामलों में ₹ 2.00 करोड़ की राशि के विद्युत शुल्क तथा अधिभार आदि के कम आरोपण को स्वीकार किया।

अध्याय के इस भाग में, हम विभाग द्वारा स्वीकार किये गये ₹ 2.00 करोड़ के वित्तीय प्रभाव का एक मामला दृष्टांतस्वरूप प्रस्तुत करते हैं। इसकी चर्चा अनुवर्ती कंडिका में की गयी है।

[8] धनबाद, हजारीबाग, जमशेदपुर, राँची एवं संथाल परगना (दुमका)।

5.15 अधिनियम/नियमावलियों के प्रावधानों का पालन नहीं किया जाना

बिहार विद्युत अधिनियम, 1948 एवं उसके अधीन बनायी गयी नियमावलियां, झारखण्ड सरकार द्वारा यथा अंगीकृत, निर्धारित दर पर विद्युत शुल्क एवं अधिभार के भुगतान का प्रावधान करती हैं।

हमने पाया कि वाणिज्यकर विभाग ने अनुवर्ती कंडिका में वर्णित मामले में अधिनियम/नियमावलियों के प्रावधानों का पालन नहीं किया।

5.16 विद्युत उर्जा के क्रय का छिपाव

बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम की धारा 4(4-ए) के प्रावधानों के अंतर्गत अनुज्ञापत्रधारी के अलावा प्रत्येक व्यक्ति, जो किसी अनुज्ञापत्रधारी या अन्य व्यक्ति द्वारा उत्पादित उर्जा की थोक आपूर्ति, बिक्री हेतु या आंशिक रूप से अपने उपयोग तथा आंशिक रूप से बिक्री हेतु, प्राप्त करता है वह धारा 3 के तहत प्रत्येक माह राज्य सरकार को उसके द्वारा इस प्रकार प्राप्त उर्जा की इकाइयों और बेची गई या आंशिक रूप से बिक्री व आंशिक रूप से उसके द्वारा उपभोग की गई उर्जा पर भुगतेय शुल्क तथा अधिभार का निर्धारित समय पर और विहित रीति से भुगतान करेगा। अग्रेतर, अधिनियम की धारा 5 ए(2) के प्रावधानों एवं उनके अन्तर्गत बने नियमावलियों के अंतर्गत, प्रत्येक निर्धारिती उस माह जिससे शुल्क संबंधित है के दो कैलेंडर महीने के अन्दर उसके द्वारा देय विद्युत शुल्क एवं अधिभार का भुगतान करेगा। देय तिथि के अन्दर शुल्क और/या अधिभार के भुगतान में विफल रहने पर विहित प्राधिकारी देय तिथि से प्रथम तीन महीने या उसके भाग के लिये पाँच प्रतिशत तक किन्तु, ढाई प्रतिशत से कम नहीं और प्रत्येक अनुवर्ती महीने या उसके भाग के लिए दस प्रतिशत तक किन्तु, पाँच प्रतिशत से कम नहीं, का अर्थदण्ड आरोपित करेगा।

हमने दामोदर घाटी निगम (दा.घा.नि.) से झारखण्ड में व्यापारियों को विद्युत उर्जा की बिक्री से संबंधित आँकड़ा संग्रह किया और झारखण्ड के वाणिज्यकर अंचलों में संधारित अभिलेखों के साथ इसका तिर्यक सत्यापन किया। हमने बोकारो एवं गिरिडीह वाणिज्यकर अंचलों में निर्धारण अभिलेखों एवं निबंधित 21 व्यापारियों द्वारा दाखिल आवधिक विवरणियों से पाया (जून 2013 तथा मई 2014) कि तीन निर्धारितियों ने 2004-05 और 2010-11 की अवधि के दौरान दा.घा.नि. से 27.88 करोड़ इकाई विद्युत उर्जा का क्रय एवं उपभोग किया था किन्तु, अपने विवरणियों में मात्र 17.98 करोड़ इकाई लेखाबद्ध किया एवं तद्नुसार शुल्क व अधिभार का भुगतान किया। इसके परिणामस्वरूप 9.90 करोड़ इकाई विद्युत उर्जा की क्रय का छिपाव हुआ। छिपायी गयी इकाइयों हेतु भुगतेय विद्युत शुल्क व अधिभार ₹ 39.62 लाख की गणना की गयी, इसके अतिरिक्त देय तिथियों पर विद्युत शुल्क व अधिभार का भुगतान नहीं होने पर ₹ 1.61 करोड़ का अर्थदण्ड भी आरोप्य था।

हमारे द्वारा इन्हें बताये जाने पर (जून 2013 से मई 2014 के बीच), उ.वा.क., गिरिडीह ने कहा (जुलाई 2014) कि सुनवाई हेतु सूचना निर्गत किया गया था, जबकि उ.वा.क., बोकारो ने हमारे अवलोकन को स्वीकार किया और माँग सृजित किया (जुलाई 2014)। तथापि, व्यापारी ने आयुक्त, वाणिज्यकर विभाग, झारखण्ड, राँची के न्यायालय में अपील दायर किया है। तदन्तर, उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवम्बर 2014)।

हमने मई 2014 में मामला सरकार को प्रतिवेदित किया, उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवम्बर 2014)।

5.17 आंतरिक लेखापरीक्षा

विभाग से आंतरिक लेखापरीक्षा की स्थिति के संबंध में सूचना माँगी (अप्रैल 2014 से जुलाई 2014 के मध्य) गयी थी, उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवम्बर 2014)।